

प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. . विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है बलरामपुर जिले में बलरामपुर वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण परियोजना हेतु राजस्व वनभूमि रकबा 6.961 हेक्टर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक अधिरोपित शर्त अनुसार विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो,

आवेदक संस्थान को मान्य है।


(राजेन्द्र कुमार शुक्ला)

कार्यपालन अभियन्ता

अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग

छ.रा.वि.पारे.क.मर्यादित, कोरवा (छ.ग.)

Clearance Under FC. Act 1980 deposition of fund with the

Ad-hoc CAMPA

प्रमाण पत्र

प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. . विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित वन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि निर्धारित की जाती है तो वह राशि CAMPA निधि में तत्काल जमा करने के लिए आवेदक संस्थान सहमत है।


(राजेन्द्र कुमार शुक्ला)

कार्यपालन अभियन्ता

अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग
छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादितकोरबा (छ.ग)